सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वादपत्र स0 85/2018

खुशाल पुत्र कालूराम बलाई निवासी पारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज

———वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

—————प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 14.05.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पारा में पेश हुई। वादी /प्रतिवादी उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मय आधार कार्ड, माध्यमिक परीक्षा एवं अन्य दस्तावेज पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम पारा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 303 में वादी का नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 1831 दिनांक 20.3.2013 से बेचान केता कुशाल पुत्र कालूराम नाबा.कौम बलाई दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त करवा कर खुशाल पुत्र कालूराम दर्ज किया जावे।**

हमने वादी का वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया । तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार **ग्राम पारा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 303 में वादी का नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 1831 दिनांक 20.3.2013 से बेचान पूरा खाता केता कुशाल पुत्र कालूराम दर्ज** है। वार्दी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार **ग्राम पारा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 303 में वादी का नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 1831 दिनांक 20.3.2013 से बेचान केता कुशाल पुत्र कालूराम** के स्थान पर **खुशाल पुत्र कालूराम** किया जाने की तहसीलदार केकड़ी द्वारा सिफारिश की है।

हमने वादपत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का मानखण्ड की रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि **ग्राम पारा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 303 में वादी का नाम कुशाल पुत्र कालूराम** के स्थान पर **खुशाल पुत्र कालूराम** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच **कुशाल पुत्र कालूराम** के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादी **कुशाल पुत्र कालूराम** के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी **कुशाल पुत्र कालूराम** नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार **केकडी** को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 14.5.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पारा में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी